

# फर्द अहकाम

बनाम

केलर/चन्द

राम प्रसाद

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्ती

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

12/2022

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्रम  
संख्या

दिनांक आज्ञा  
या कार्यवाही

13/08/24

पत्रावली पेश हुई/P.O. साहब दोरे/अन्य  
कार्य बकुलाय द्वारा कार्य बहिष्कार रहने  
के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी।  
पत्रावली आगामी दिनांक 05/09/24  
.....को पेश हो।

519/24

पत्रावली पेश हुई। वकील जार्जी एवं अपार्थी  
संख्या 1 अगा. 6 उपस्थित। पत्रावली बहिष्कार  
जवाब 71 एवं शेष 51 इंटरनल तलबी  
देखु दिनांक 27/9/24 को पेश हो।

27/9/24

पत्रावली पेश हुई/P.O. साहब दोरे/अन्य  
कार्य बकुलाय द्वारा कार्य बहिष्कार रहने  
के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी।  
पत्रावली आगामी दिनांक 25/10/24  
.....को पेश हो।

25/10/24

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी  
उपस्थित। पत्रावली पूर्व  
सार दिनांक 09/11/24  
का पत्र हो।

01/11/24

पत्रावली पेश हुई/P.O. साहब दोरे/अन्य  
कार्य बकुलाय द्वारा कार्य बहिष्कार रहने  
के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी।  
पत्रावली आगामी दिनांक 29/11/24  
.....को पेश हो।

29/11/24

पत्रावली पेश हुई। वकील जार्जी एवं  
अपार्थीगण उपस्थित। अपार्थीगण द्वारा  
जवाब प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा  
प्रस्तुत किया गया।

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्ती  
दिनांक आज्ञा  
या कार्यवाही

# फर्द अहकाम

नामप्रत्यादि बगाम कैलाशचन्द

सहायक कलक्टर, बस्ती  
आज्ञा पत्र/मुकदमा नम्बर :

12/2023

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष धिक्करण

विभागे आज्ञा  
या कार्यवाही

उभयपक्ष अधिवक्ता की प्रार्थना पर अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गयी। पतावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने एवं उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जाहिरतथ्यो पर मनन करने के उपरान्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 43/1 रकबा 0.1138 हैं, ख. नं. 43/2 रकबा 0.8346 हैंक्टेशर ग्राम कल्याणपुरा, पटवार हल्का दूधली, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दूधली, तहसील बस्ती, जिला जयपुर के संबंध में अग्रार्थीगणों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी से संबंधित मूलवाद 13/2023 उनवान. रामप्रसाद बनाम कैलाशचन्द के तर्फसेला वाद के उक्त खसरा नं. पर उभयपक्ष कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न ना करें।

पतावली फेंसल शुमार होकर वाद तकमिल काखिल पफतर होकर नम्बर से कम हो।